प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 35/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश 2020 जारी किया।

नई दिल्ली, 31 मई, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश 2020 जारी किया है।

2. इस संशोधन के अधिनियमन के साथ, दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची 13 और उसके तहत प्रविष्टियों का विलोपन हो जाएगा। दूरसंचार आदेश, 1999 की अनुसूची 13 के तहत, दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा 100 एसएमएस प्रति सिम प्रतिदिन की सीमा से अधिक प्रत्येक एसएमएस के लिए न्यूनतम 50 प्रति एसएमएस शुल्क लेने का प्रावधान किया गया था। । अनुसूची 13 का विलोपन टैरिफ विनियम को समाप्त करने और टैरिफ प्रविरत की व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भादूविप्रा द्वारा उठाया गया एक और कदम है।

3. यह संशोधन एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों की टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक ड्रॉफ्ट संशोधन भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था। हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद और कोविड–19 की महामारी के दृष्टिगत, भादूविप्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पहला खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया। ऑनलाइन ओएचडी के जरिये हितधारकों को परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने का एक नया अवसर मुहैया कारया गया ।

4. अनुसूची 13 को दूरसंचार टैरिफ आदेश में वर्ष 2012 मे शामिल किया गया था और यह तत्कालीन दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2010 (टीसीसीसीपीआर 2010) के प्रावधानों के लिए पूरक सुरक्षापाय के रूप में था ताकि अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की समस्या का समाधान किया जा सकें। 2018 में, भादूविप्रा टीसीसीसीपीआर 2010 को 19 जुलाई 2018 के दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) (टीसीसीसीपीआर 2018) से प्रतिस्थपित किया गया। टीसीसीसीपीआर 2018 के तहत निर्धारित नया विनियामक फ्रेमवर्क प्रौद्योगिक आधारित है और ब्लॉक चेन प्रोद्योगिकी पर आधारित प्रौद्योगिकीय समाधान मुहैया कराता है। यूसीसी की समस्या से निबटने में टीसीसीसीपीआर 2018 की व्यापकता को देखते हुए यह महसूस किया गया कि एसएमएस के वास्तविक गैर–वाणिज्यिक बल्क उपयोगकर्ताओं के हित को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने की संभावना वाले विनियम की अब कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे हटाया जा सकता है।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधरकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के साथ इन संशोंधनों के विवरिण

भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai .gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

6. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री कौशल किशोर, लाहकार (एफएंडईए) से ईमेल advfeal@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91–11–23230752 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>